

Corporate office:
Flat No.-7/301, Tulsi Enclave, Abhimanu Nagar,
Chas, Bokaro, Jharkhand - 827013

Site Address:
Malti Luxuria City, Murtitand, Sri Sai Mandir Road,
Sector-VI, Bokaro Steel City, Bokaro (Jharkhand)

Call: 091623 83319, 098011 49992, Website: www.mrippl.com
Emails: mrippltd@gmail.com, maltluxuriacity@mrippl.com



Malti Residency
Infra Projects Pvt. Ltd.

Developing Relations...Building Values

Date: 15.01.2024.

To,
The Secretary,
MADA Dhanbad, Jharkhand.

Sub- Regarding Builder Registration Renewal of Malti residency Infra Projects Pvt Ltd.

Dear Sir,

With reference to above subject, we have taken approval from your office, which approval no (case no) is (i) BD-04/12-13 dated 28.05.2013 (ii) BD-73/13-14 dated 05.07.2014 and (iii) BD-90/14-15 dated 20.01.2015.

In which there are some deviation in above mentioned Buildings from approved map. for which we request you to regulise the same. For that we are applying revised map to your esteemed office for that we need builder registration.

So therefore we are requesting you kindly accept our request and renew our builder registration as earliest. So that we can proceed further. For this we will always thankful to you.

Thanking you.

With Best Regards.

For Malti Residency Infra Projects Pvt Ltd

7 7
7 7
7 7
7 7

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक-TP-83 / न0नि0

सेवा में

श्री
पिता- नन्दमाम नाथ
पता- सोबीमर नाथ
इमर मीड. 11/01, पी0-नवागढ़, धनबाद।

धनबाद, दिनांक 28/5/2013

विषय- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संरक्षित भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं0 बी0डी0-04/12-13 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 18/2/13 के संबंध में।

महाराज,

आपके आवेदन, दलील संख्या- 7424/30.10.12, 8690/5.8.10 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या- 1612 D/12-13, 2850 D/12-13 जमाबंदी संख्या- 1394, 1544 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 12-13 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संरक्षित भवन संबंधी बी0डी0 केश नं0 04/12-13 के नक्शों की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि नाका/ई-26 मौजा अन्तर्गत खाता नं0 07 08, 09, ए 48 प्लोट नं0 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 105 रकबा 93 1/2 बी0 की भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंस अभियन्ता श्री A.K. Choudhary की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेगी। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगी। प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के वेगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा। खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर करना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये वाली से हटकर अन्य वाली का निर्माण नहीं करेंगे। माझा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संरक्षित भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25% कुल रू0-180,000/जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्त, धनबाद/चास-बोकारो के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे। खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद - 739 दि0 02-05-13 की प्रति संलग्न है।

नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार

धनबाद।

28/5/13

27/5/13

जापांक- / नगर निवेशन, दिनांक /

प्रतिलिपि- श्री A.K. Choudhary

लाईसेंस अभियन्ता, धनबाद/चास-बोकारो।

2-सहायक श्रमायुक्त, धनबाद/चास-बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक-T.R.266 / न0नि0

सेवा में,

श्री किरेन्द्र कुमार मिश्रा - श्री नन्दलाल नायक
 श्री मलिन चंद्र शर्मा - श्री शम्भु नाथ शर्मा
 श्री मोहम्मद शरीफ शर्मा - श्री दुर्गा लाल शर्मा
 श्री मनी शर्मा - श्री प्रो. मनोरंजन प्रो. नायक
 श्री नरेश कुमार शर्मा - श्री राम सोनर नायक

पता- प्लॉट नं० 07/301
 तृतीय तल्ला इन्वेलोप
 अग्निशमन नगर, चास, बोकारो।

विषय:-

आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह पराम केश नं० बी0डी0-73/13-14
 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 11-12-13 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या-6327/187-89, 6327/187-90, 6327/187-91, 6327/187-92, 6327/187-93 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या-868/11/04-05, 285/11/13, 2863, 2864, 2866 जमाबंदी संख्या-1545, 1546, 1547, 1548, 1549 से निर्गत लगान रजिद वर्ष 11-12, 13-14 की अभिप्राणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सहाय्य द्वारा किये गये अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी0डी0 केश नं० 73/13-14 के नवशों की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि गवाडीर - 26 गौजा अन्तर्गत खाता नं० 07, 09, 48 प्लॉट नं० 42, 43, 44, 45, 46, 47 रकबा 85.67 बी० भूमि पर स्वीकृत नवशों के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री अश्विनी कुमार चौधरी की देख-रेख में कार्यालय के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यालय की जानकारी उपलब्ध करायेगे। स्वीकृत नवशों के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगे। प्रथम निदेशक के लिखित पूर्वागुति के वेगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा। खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर करना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नवशों में दशांशे वाली से हटकर अन्य वाली का निर्माण नहीं करेंगे। सादा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नवशा, स्वल्प अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है। शिले प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नवशा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबन्ध के लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल रिजिडिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25 % कुल रू०-2,64,000 जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्त, धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे। अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के सुलभ पत्रांक-70 दि० 19.2.14 के द्वारा प्रदत्त सुझाव/मंतव्य का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

अनु०:- यथोपरि ।

नगर निवेशक/तकनीकी सहाय्य
 खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
 धनबाद।
4/3/14

आपका...../नगर निवेशन, दिनांक...../

प्रतिरूपि- श्री..... लाईसेंसी अभियन्ता, धनबाद/चास-बोकारो।
 2-सहायक श्रमायुक्त, धनबाद को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर निवेशक/तकनीकी सहाय्य
 खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,
 धनबाद।

D

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद ।

पत्रांक. -टी0पी0.....152...../न0नि0

सेवा में,

श्री ~~नन्दलाल नाथक पिता-स्व0द्व0मरनाथक एवं~~

श्री ~~निधिरू कुमार् पिता-श्री नन्दलाल नाथक,~~
~~हरना, नवलपट्ट, जिला-धनबाद ।~~

घस बोकारो, दिनांक. 20/01/15

विषय:- आवासीय/~~व्यवसायिक~~/~~व्यवसायिक-सह~~-आवासीय/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं0 बी0डी0-90/14-15 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 21/11/2014 के सम्बन्ध में 1635 III/11-12 महाशय, ~~दस्तावेज नं0-7976 दि0-22/7/10 13116 दि0-28/12/11, 891 दि0-13/2/13, 2248, 2244 III/13~~ आपके आवेदन दलील संख्या-~~एवं~~ 3617 दि0-3/7/14 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या 1141 III/14-15 जमाबंदी संख्या 1395, 1818, 1814, 1904 से निर्गत लगान रसीद वर्ष. 14-15 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं

Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/~~व्यवसायिक~~/~~व्यवसायिक-सह~~-आवासीय/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी0डी0 केश नं0-90/14-15 के नक्शे की स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है ।

निदेशानुसार सूचित करना है कि मौजा सं0-~~नावाडी-26~~ अन्तर्गत खाता सं0 ~~एवं~~ 48 प्लॉट सं0 21, 19, 24 एवं 22 रकबा-107.75 डीसमिल भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियंता- श्री A. K. Choudhary की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अद्योहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेगे ।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अद्योहस्ताक्षरी को करायेगे ।

प्रबंध निदेशक के लिखित, पूर्वानुमति के वगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा ।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे । माडा भवन विनियम के दायरे में आवासीय/~~व्यवसायिक~~/~~व्यवसायिक-सह~~-आवासीय/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा स्वत्व अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है ।

जिस प्रयोजन के लिए भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा । भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भूस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा ।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा ।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25% कुल रू0 2,40,000/- जमा किया गया है । शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्ता घास, बोकारो के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे ।

Structural Stability Certificate एवं Plumbing & electrical working drawing

प्रयुक्त नक्शा के अन्दर निर्धारित रूप से कार्यालय के जमा करेंगे

सहायक निरीक्षण निदेशक
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
माडा, धनबाद
19/1/15